# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– **सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या** :– **207 / 2023**          **जी.सी.एम.एस. नम्बर** :– **2023 / 28**

**दायर दिनांक** :– **21.08.2023**          **निर्णय दिनांक** :– **07.01.2025**

**प्रार्थीगण**

1. जुगताराम पुत्र जानाराम
2. पूनाराम पुत्र जानाराम
3. माणकराम पुत्र जानाराम
4. भीखा पत्नी जानाराम

सभी जाति जाट निवासी नारायणपुरा, चाखू तहसील घंटियाली जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. तहसीलदार घंटियाली
2. ग्राम पंचायत नारायणपुरा
3. पदमाराम पुत्र जीवणराम
4. बाबुराम पुत्र जीवणराम
5. शिवलाल पुत्र जीवणराम
6. कोजाराम पुत्र जीवणराम
7. चैनाराम पुत्री जोगाराम
8. पीराराम पुत्र जोगाराम
9. भागीरथ दतक पुत्र मोडाराम
10. अखाराम पुत्र खेताराम
11. पाबूराम पुत्र खेताराम
12. मनोहरराम पुत्र खेताराम
13. उमी पुत्री शंकराराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता पेम्पो देवी
14. देवाराम पुत्र शंकराराम
15. धनी पुत्री शंकराराम
16. पतू पुत्री शंकराराम
17. पेम्पो देवी पत्नी शंकराराम
18. सुखी देवी पुत्री शंकराराम
19. सायरा देवी पुत्री शंकराराम
20. सीमा पुत्री शंकराराम
21. हवा पुत्री शंकराराम
22. चैनाराम पुत्र गुलाबाराम
23. जेठाराम पुत्र गुलाबाराम
24. राणाराम पुत्र गुलाबाराम
25. लालूराम पुत्र जीवणराम
26. अमानाराम पुत्र अमृताराम
27. घमूराम पुत्र अमृताराम

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

28. लालूराम पुत्र अमृताराम
29. टीकूराम पुत्र छोगाराम
30. खेमाराम पुत्र कानाराम
31. गोकलराम पुत्र कानाराम
32. निम्बाराम पुत्र कानाराम
33. खमी पत्नी कानाराम
34. मनोहरराम पुत्र खेमाराम

सभी जाति जाट निवासी
चाखू तहसील घंटियाली
जिला जोधपुर।

35. ओम प्रकाश पुत्र पांचाराम

जाति विश्नोई निवासी भोजासर
तहसील आऊ जिला जोधपुर।

36. आसूराम पुत्र मेगाराम
37. गोरधनराम पुत्र मेगाराम
38. चेतनराम पुत्र मेगाराम
39. मेसाराम पुत्र मेगाराम
40. कानाराम पुत्र मानाराम
41. गंगाराम पुत्र कानाराम
42. तुलछी पुत्री कानाराम
43. धापू पुत्री कानाराम
44. पोकरराम पुत्र कानाराम
45. बाबुराम पुत्र कानाराम
46. मगी पुत्री कानाराम
47. मोहनी पुत्र कानाराम
48. लिछी पुत्री कानाराम
49. सुगनी पुत्री कानाराम
50. हरिराम पुत्र कानाराम

सभी जाति जाट निवासी
नारायणपुरा तहसील घंटियाली

51. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया,

शाखा कानसिंह की सिड

**<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>**

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता 3 ता 7
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम नारायणपुरा पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 618/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर (14–19 बीघा) भूमि व ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 461/1 रकबा 4.8967 हैक्टेयर (30–05 बीघा) भूमि स्थित है। जमाबंदी व भू–नक्शा की वर्तमान प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त खसरान् के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 18.04.2022 को जारी आदेश क्रमाक/भू0अ0/2022 /24 की पालना में दिनांक 07.05.2022 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर पंहुच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थीगण खातेदारान् के पड़ौसी खातेदारान् व मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 07/05/2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरान् की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ौसी खातेदारान् व्यवधान पैदा कर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी, जाली नही कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 07.05.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 618/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर व ग्राम कलाथ पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 461/1 रकबा 4.8967 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 07.05.2022 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 07.05.2022 के अनुसार पत्थरगढी नही की जाकर ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 618/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 618 रकबा 4.8440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 618/2 रकबा 4.8441 हैक्टेयर तथा ग्राम कलाथल के खसरा नम्बर 461/1 रकबा 4.8967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 19.5868 हैक्टेयर भूमि के सभी खातेदारों की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की जाकर उसी अनुसार ही पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के जवाब एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 618/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 618 रकबा 4.8440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 618/2 रकबा 4.8441 हैक्टेयर तथा ग्राम कलाथल के खसरा नम्बर 461/1 रकबा 4.8967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 19.5868 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उपरोक्त वर्णित खसरान् की पुनः पैमाईश की जाकर की गई पुनः पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

**आदेश**

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 618/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 618 रकबा 4.8440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 618/2 रकबा 4.8441 हैक्टेयर तथा ग्राम कलाथल के खसरा नम्बर 461/1 रकबा 4.8967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 19.5868 हैक्टेयर भूमि की सभी खातेदारों की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की जाकर पत्थर गड्ढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)